विधि और न्याय मंत्रालय मांग संख्या 64 विधि और न्याय

(₹ करोड़)

1	. ~		I							((4)(15)			
	वास्तविक 2019-2020		ৰजट 2020-2021		संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022					
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	3171.91	49.62	3221.53	2150.00	200.00	2350.00	1482.46	286.00	1768.46	1745.82	1100.00	2845.82	
वस्रू लियां	-140.20		-140.20	-150.00		-150.00	-160.00		-160.00	-200.00		-200.00	
प्रा <u>प्ति</u> यां											•••		
निवल	3031.71	49.62	3081.33	2000.00	200.00	2200.00	1322.46	286.00	1608.46	1545.82	1100.00	2645.82	
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय	199.28		199.28	225.37		225.37	207.01		207.01	217.70		217.70	
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										0.20		0.20	
3. कर न्यायाधिकरण	99.53	24.65	124.18	122.90	50.00	172.90	112.70	136.00	248.70	119.30	100.00	219.30	
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	298.81	24.65	323.46	348.27	50.00	398.27	319.71	136.00	455.71	337.20	100.00	437.20	
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं													
राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधि सुधार मिशन													
4. कानूनी सुधारों पर कार्रवाई अनुसंधान एवं अध्ययन	30.16		30.16	35.73		35.73	35.00		35.00				
 भारत में न्याय के लिए समग्र अभिगम के लिए अभिनव समाधान डिजाइन करना (डिशा) 				•••						40.00		40.00	
6. ई-कोर्ट फेज़-।।	179.26		179.26	250.00		250.00	180.00		180.00	98.82		98.82	
जोड़-राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधि सुधार मिशन	209.42	•••	209.42	285.73		285.73	215.00		215.00	138.82		138.82	
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	209.42		209.42	285.73		285.73	215.00		215.00	138.82		138.82	
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय													
स्वायत्त निकाय													
7. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी,	15.00		15.00	11.00	•••	11.00	11.00		11.00	11.00		11.00	
8. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण	140.00		140.00	100.00		100.00	100.00		100.00	100.00		100.00	
9. भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई)				3.00	***	3.00	3.00		3.00	3.00	***	3.00	
10. नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र				3.00		3.00	1.25		1.25	1.00		1.00	
11. संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान (आई सी पी एस)										1.50		1.50	
जोड़-स्वायत्त निकाय	155.00		155.00	117.00		117.00	115.25		115.25	116.50		116.50	

सं 64/विधि और न्याय

(₹ करोड़)

	I		1			ı				<i>(₹</i> कराड़)			
	वास	वास्तविक 2019-2020			ৰजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जो	
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	155.00		155.00	117.00		117.00	115.25		115.25	116.50		116.5	
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण													
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं													
12. ग्राम न्यायालय				8.00		8.00	6.00		6.00	8.00		8.00	
13. न्यायालयों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं	990.00		990.00	754.00		754.00	593.00		593.00	776.00		776.0	
जोड़-न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं	990.00		990.00	762.00		762.00	599.00		599.00	784.00		784.0	
महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन													
14. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट													
14.01 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट				150.00		150.00	160.00		160.00	200.00		200.00	
14.02 निर्भया निधि से पूरा किया गया <i>नि</i> व				-150.00		-150.00	-160.00		-160.00	-200.00		-200.00	
	निवल												
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	990.00		990.00	762.00		762.00	599.00		599.00	784.00		784.0	
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण													
15. चुनाव के घटक													
15.01 लोकसभा चुनाव	950.5°	1	950.51	200.00		200.00	14.00		14.00	100.00		100.00	
15.02 मतदाताओं के लिए पहचान पत्र	90.00		90.00	54.00		54.00	12.00		12.00	7.20		7.2	
15.03 चुनाव संबंधी अन्य व्यय	337.9	7	337.97	183.00		183.00	42.50		42.50	57.10	***	57.1	
जोड़- चुनाव के घटक	1378.4	<i></i>	1378.48	437.00		437.00	68.50		68.50	164.30		164.3	
16. निर्वाचन आयोग के लिए ई वी एम		. 24.97	24.97	50.00	150.00	200.00	5.00	150.00	155.00	5.00	1000.00	1005.00	
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	1378.4	3 24.97	1403.45	487.00	150.00	637.00	73.50	150.00	223.50	169.30	1000.00	1169.3	
कुल जोड़	3031.7	1 49.62	3081.33	2000.00	200.00	2200.00	1322.46	286.00	1608.46	1545.82	1100.00	2645.8	
ख. विकास शीर्ष													
सामान्य सेवाएं													
1. न्याय प्रशासन	429.60		429.60	442.87		442.87	373.65		373.65	303.32		303.3	
2. चुनाव 	1378.48		1378.48	487.00		487.00	73.50		73.50	169.30		169.3	
3. आय और व्यय पर करों का संग्रहण	99.53		99.53	122.90		122.90	112.70		112.70	119.30		119.3	
4. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	124.54		124.54	147.43		147.43	134.31		134.31	147.40		147.4	
5. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	9.73		9.73	14.80		14.80	13.30		13.30	14.30		14.3	
6. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय			49.62		200.00	200.00		286.00	286.00		1100.00	1100.0	
जोड़-सामान्य सेवाएं	2041.8	3 49.62	2091.50	1215.00	200.00	1415.00	707.46	286.00	993.46	753.62	1100.00	1853.6	

(₹ करोड़)

											((جانزاب)
	वास्तविक 2019-2020			ब जट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			ਕ ਤਟ 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण				•••						0.20		0.20
जोड़-सामाजिक सेवाएं										0.20		0.20
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र				105.00		105.00	81.40		81.40	92.28		92.28
9. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	933.00		933.00	630.00	***	630.00	483.60		483.60	639.72	***	639.72
10. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	56.83		56.83	50.00		50.00	50.00		50.00	60.00		60.00
जोड़-अन्य	989.83		989.83	785.00		785.00	615.00		615.00	792.00		792.00
कुल जोड़	3031.71	49.62	3081.33	2000.00	200.00	2200.00	1322.46	286.00	1608.46	1545.82	1100.00	2645.82

- 1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग, न्याय विभाग, राजभाषा खण्ड, संगठित मुकदमा अभिकरण, विधि साहित्य प्रकाशन, नालसा, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा न्यायिक वितरण और कानूनी सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन के सचिवालय व्यय के लिए है।
 - 2. **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए उपाय।
 - 3. **कर न्यायाधिकरण:** यह प्रावधान आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आई.टी.ए.टी.) के सचिवालय व्यय के लिए है।
- 4. **कानूनी सुधारों पर कार्रवाई अनुसंधान एवं अध्ययन:** यह प्रावधान, कार्य अनुसंधान/आमूल परिवर्तन/ अध्ययन की निगरानी, संगोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन आदि करने के लिए न्यायिक वितरण, विधिक शिक्षा और अनुसंधान तथा कानूनी सुधारों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों को वित्तीय सहायता देने के लिए है।
- 5. भारत में न्याय के लिए समग्र अभिगम के लिए अभिनव समाधान डिजाइन करना (डिशा): यह प्रावधान न्यायमूर्ति एनईजेके और एनईजेके के अलावा अन्य को लागू करने के लिए हैं (जिसमें 3 कार्यक्रम टेली लॉ, नाया बंधु और न्याय मित्र शामिल हैं) जिसमें विधायक और सांसद के लिए विशेष अदालतों का प्रावधान भी शामिल हैं।
- 6. **ई-कोर्ट फेज़-।:** यह प्रावधान वादियों, अधिवक्ताओं तथा न्यायतंत्र को नामित सेवा प्रदान करने के लिए देश के जिला/अधीनस्थ न्यायालयों को आईसीटी समर्थकारी बनाने हेतु ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के लिए है।
 - 7. **राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी,:** प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है
 - 8. **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण:** प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है
 - 9. **भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई):** प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है
 - 10. **नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र:** प्रावधान मध्यस्थता केंद्र को अनुदान प्रदान करने के लिए है

- 11. **संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान (आई सी पी एस):** प्रावधान संस्थान को अनुदान प्रदान करने के लिए है
- 12. **ग्राम न्यायालय:** प्रावधान अपने राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है
- 13. **न्यायालयों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं:** न्यायपालिका के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं: प्रावधान विधानमंडल, विधानमंडल के बिना और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के साथ राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत अनुदान / सहायता प्रदान करने के लिए है।
- 14. बलात्कार और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत लंबित पड़े वाधों का तेजी परीक्षण और निपटान किए जाने के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स का गठन
- 15.01. **चुनाव के घटक:** यह प्रावधान जनरल लोकसभा चुनाव कराने के लिए शुल्क के संबंध में अग्रेनीत दायित्व को पूरा करने के लिए है।
- 15.02. **चुनाव के घटक:** यह प्रावधान मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने पर राज्यों / संघ राज्य सरकार को केंद्र सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति के लिए है।
- 15.03. **चुनाव के घटक:** इसके अंतर्गत सामान्य चुनावी खर्चे के संबंध में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।
- 16. **निर्वाचन आयोग के लिए ई वी एम:** प्रावधान द्वारा बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल इकाइयों की खरीद के लिए चुनाव आयोग को धन उपलब्ध कराने के लिए और मतदाता सूची के मुद्रण तथा ईवीएम के सहायक खर्चे तथा अप्रचलित ईवीएम की खराबी संबंधी व्यय के बारे में.